भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या651

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

गिरिजाघरों और ईसाईयों के प्रबंधन वाले संस्थाओं पर हमले

651 श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गिरिजाघरों और ईसाईयों के प्रबंधन वाले संस्थाओं पर बढ़ते हमले पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षो में देश भर में गिरिजाघरों और ईसाईयों के प्रबंधन वाले संस्थाओं पर हमले/तोड़-फोड़ से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों से संबंधित जांच का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने तथा अल्पसंख्यक समुदायों में सुरक्षा की भावना बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग): भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इसलिए धर्म से संबंधित अपराधों सहित कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को दर्ज करने उनकी जांच करने तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। इस प्रकार के अपराधों, गिरफ्तार/दोषसिद्ध व्यक्तियों, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई, संपत्ति आदि को हुई क्षति का ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ): रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में स्थित धार्मिक स्थलों/संस्थानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) **सभी गिरजाघरों और अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित क्रिश्चियन स्कूलों की पहचान की गई है और उनके सुरक्षा प्रबंधों का आंकलन किया गया है।**

(ii) **इन चर्चों को एक मानचित्र पर बताया/दर्शाया गया है ताकि इनको समग्र रूप से देखा जा सके।**

(iii) **सभी संबंधित अधिकारियों, विशेषकर संबंधित पुलिस उपायुक्तों और एसएचओ को इन संस्थाओं/स्थलों की सुरक्षा की देखरेख करने के निदेश दिए गए हैं।**

(iv) **सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से गिरजाघरों के आसपास पीसीआर वैन, ईआरवी और मोटरसाइकिल गश्त तैनात की गई हैं। सभी संवेदनशील स्थलों पर रात्रि के समय स्थिर तैनाती की जाती है।**

(v) दिल्ली में कुल 240 गिरजाघर और इसाइयों द्वारा चलाए जा रहे 91 स्कूल हैं। पुलिस उपायुक्त और पुलिस थाना स्टाफ को इन गिरजाघरों/ईसाई मिशनरी स्कूलों का औचक दौरा करने का निदेश भी दिया गया है।

(vi) इन संस्थाओं के निदेशकों और प्रबंधन से इन स्थानों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने और गार्ड तैनात करने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में 161 गिरजाघरों और 69 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 54 गिरजाघरों और 15 स्कूलों में पुलिस के अनुरोध पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

(vii) इन धार्मिक स्थलों के समन्वयकों के संपर्क नम्बर संबंधित पुलिस थाना स्टाफ को दिए गए हैं।

(viii) समुचित गश्त सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्राधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे गश्त स्टाफ द्वारा आवश्यक प्रविष्टियां किए जाने हेतु प्रत्येक गिरजाघर और ईसाई मिशनरी स्कूलों में एक आगन्तुक रजिस्टर रखें।

(ix) स्थानीय स्रोतों को प्रेरित किया गया है कि वे इस प्रकार के शरारतपूर्ण कार्यों की पहले ही जानकारी प्रदान करें।

(x) किसी भी संस्थान अथवा स्कूल आदि से संबंधित समस्याएं पोस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक नया फेसबुक पेज "माइनॉरिटी ब्रदरेन" बनाया गया है।

(xi) अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निराकरण के लिए एक पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।

(xii) गिरजाघरों और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उठाए गए उपर्युक्त कदमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से मीडिया के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के संबंध में , केन्द्र सरकार सूचना के आदान-प्रदान, अलर्ट संदेश और परामर्शी-पत्रों के प्रेषण, विशिष्ट अनुरोधों पर संबंधित राज्य सरकारों को विशेष रूप से साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए गठित कम्पोजिट द्रुत कार्रवाई बल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती तथा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसे अनेक माध्यमों से राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र राज्य प्रशासनों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाले घटनाक्रमों पर अलर्ट और परामर्शी-पत्र भेजती है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अग्रिम आसूचना का आदान-प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में साम्प्रदायिक सौहार्द संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए उनका निर्धारण किया गया था। देश में साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की लगातार निगरानी रहती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

******